

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 मई 2020—वैशाख 22, शक 1942

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2020

क्रमांक एफ. 1-14/2017/1/59 :: मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 51 की उपधारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (झ) और (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद अधिकारी तथा अन्य सेवक (भरती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची—तीन में, प्रथम—श्रेणी पद में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1	रजिस्ट्रार	25	35	(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से "होम्योपैथी" में स्नातकोत्तर उपाधि तथा पाँच वर्ष का प्रशासकीय अनुभव; और,

(दो) विधि स्नातक आवेदक को अधिमानता दी जावेगी।"

(दो) अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 1 के सामने शब्द "अधीक्षक" के स्थान पर शब्द "अधीक्षक/शीघ्रलेखक" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. अग्रवाल, सचिव.

Bhopal, the 12th May 2020

No. F. 1-14/2017/1/59 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) and (j) of sub-section (2) of Section 51 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhinyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad officer and other servants (Recruitment and conditions of services) Rules, 1996, namely :-

### AMENDMENTS

In the said rules –

(1) In Schedule-III, in Class-I, Post for Serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1.	Registrar	25	35	(i) Post Graduate Degree in "Homoeopathy" from any recognized University and five years Administrative experience; and (ii) Preference shall be given to Law Graduate applicant."

(2) In Schedule-IV, in column (2), against serial number 1, for the word "Superintendent", the words "Superintendent / Stenographer" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
M. K. AGRAWAL, Secy.